राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

सिविल रिट याचिका सं. 17479/2023

अरविंद कुमार पुत्र श्री मसरा राम, आयु- लगभग 27 वर्ष , गाँव और पोस्ट देवड़ा, तहसील चितलवाना, जिला जालौर, राजस्थान----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन परिसर संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 के माध्यम से।

3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018----प्रत्यर्थी।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री हितेश कुमार।

प्रत्यर्थी(ओं) के लिएः- ----

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मोंगा

आदेश

10/01/2024

1. याचिकाकर्ता, असफल रहने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादियों को दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक 1) के विज्ञापन के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद पर चयन के लिए 27.02.2023 को आयोजित लिखित परीक्षा में उसे दिए गए अंकों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश देने की मांग करता है।

2. पहले प्रासंगिक तथ्य। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आर. एस. एस. बी.) ने अंग्रेजी विषय के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (सामान्य/विशेष शिक्षा) (स्तर-II, कक्षा 6 से 8) के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवश्यक योग्यता रखने वाले याचिकाकर्ता ने भी इस पद के लिए आवेदन किया था। उन्होंने परीक्षा में भाग लिया और आर. एस. एस. बी. ने अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की। याचिकाकर्ता ने 96 सही और 26 गलत उत्तरों के साथ 122 प्रश्नों का प्रयास करने का दावा किया है। दिनांक 09.06.2023 को परिणाम घोषित किया गया था, और याचिकाकर्ता को 18.07.2023 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था। प्रत्यर्थी बोर्ड ने वेबसाइट पर उम्मीदवारों के अंक अपलोड किए, जिसमें खुलासा किया गया कि याचिकाकर्ता ने 170.167 अंक प्राप्त किए, जो परिणाम के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के 172.098 के कटऑफ अंकों से थोड़े कम थे। इसलिए उनके परिणाम/गैर-चयन को चुनौती देने वाली यह याचिका लगाई गई है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है।

4. अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता का मामला प्रत्यर्थी संख्या 2, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (170.167 अंक) द्वारा दिए गए अंकों और याचिकाकर्ता के अपने स्वयं के दावा किए गए प्रदर्शन के मूल्यांकन (174.834 अंक, याचिका में दावे के अनुसार और जैसा कि तर्क भी दिया गया है) के बीच असमानता पर निर्भर करता है।

याचिकाकर्ता के प्रदर्शन का मूल्यांकन विशेषज्ञ परीक्षकों द्वारा तैयार की गई अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर किया गया है। विशेषज्ञ परीक्षक के आधार पर अपने फैसले को प्रतिस्थापित करना इस न्यायालय के दायरे में नहीं है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को अंक आवंटित किए गए हैं।

5. यह एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद असफल उम्मीदवार, उसके परिणाम से असंतुष्ट होने के कारण मूल्यांकन मानदंडों पर विवाद नहीं कर सकता। खेल के नियम उन सभी के लिए समान होने चाहिए जिन्होंने भाग लिया। याचिकाकर्ता को उन अन्य लोगों से आगे निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिनका मूल्यांकन किया गया था और जो उसी उत्तर कुंजी के आधार पर असफल भी हुए हैं।

6. इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक विवरण इंगित करता है कि याचिकाकर्ता का विवाद मुख्य रूप से कानूनी मुद्दों के बजाय विवादित तथ्यों के इर्द-गिर्द घूमता है। अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय को पर्याप्त सहायक सामग्री या स्वतंत्र पुष्टि के बिना केवल शपथ पत्रों के आधार पर आरोपों और प्रति-आरोपों के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए।

7. परिणामस्वरूप, मैं वर्तमान रिट याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।